राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक : प.9(2)(4)का/क-3/99 जयपुर, दिनांक : 28 OCT 1999

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/
विशिष्ट सचिव/विभागाध्यक्ष/
(जिला कलक्टर सहित)
समस्त संभागीय आयुक्त।

:: परिपत्र ::

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित करते समय उनके सेवा विवरण की जानकारी का परीक्षण नहीं किया जाता और इसके परिणामस्वरूप सेवा निवृत अधिकारी/कर्मचारी निलंबित कर दिये जाते हैं। जो अधिकारी राज्यस्तरीय सेवा से संबंधित होते हैं उन्हें निलंबित करने का अधिकार राज्य सरकार में कार्मिक विभाग में ही निहित है लेकिन प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष इसका उल्लंघन करते रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप अवैधानिक निलंबन आदेश प्रसारित होते हैं एवं सेवानिवृत राज्यसेवक निलंबित कर दिये जाते हैं।

अतः संबंधितों को यह निर्दिष्ट किया जाता है-

1. राज्यस्तरीय अधिकारियों के संबंध में निलंबन का अधिकार केवल कार्मिक विभाग को ही प्राप्त है और प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष किसी भी स्थिति में राज्यस्तरीय सेवा के अधिकारियों को निलंबित न करें।

2. प्रशासनिक विभाग राज्य स्तरीय सेवा के अधिकारियों के निलंबन प्रस्तावों के साथ निम्न सूचनाएं अवश्य भेजे-

   (अ) विभागीय स्थायी आदेशों के अनुसार सक्षम स्तर से निलंबन का अनुमोदन
   (ब) प्रस्तावित आरोप पत्र
   (स) प्रकरण का सुसंगत एवं पूर्ण अभिलेख
   (द) अधिकारी के संबंध में सेवा विवरण :

      1. अधिकारी का नाम
      2. अधिकारी का पदनाम
      3. राज्य सेवा संवर्ग
      4. जन्म तिथि
      5. सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि
      6. वेतन शृंखला
      7. वास्तविक वेतन
      8. अग्रिम वेतन वृद्धि
      9. सेवा निवृति की तिथि

3. विभागाध्यक्ष एवं अनुशासनिक प्राधिकारीगण राज्य सेवकों को विभागीय जांच प्रकरण में निलंबित करने से पूर्व उक्त सेवा विवरण पत्रावली पर संधारित करेंगे साथ ही प्रस्तावित एवं सुसंगत अभिलेख निलंबन के समय संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के पास निलंबन के समय परीक्षण करने हेतु उपलब्ध रहना चाहिए। प्रत्येक निलंबन की पत्रावली पर निलंबन अधिकारी के संदर्भ में सेवा विवरण एवं कार्यवाही का विवरण उक्तानुसार निश्चित रूप से संधारित होना आवश्यक है।

4. इसी प्रकार राज्य सेवक/अधिकारियों के विरुद्ध लंबित फौजदारी प्रकरण या [illegible] जो निलंबन/अभियोजन स्वीकृति एवं न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप संपन्न कार्यवाही के संबंध में संधारित होती है, उन पर प्रकरण का विवरण / हिस्ट्रीशीट निम्नानुसार संधारित की जानी है -

1. अधिकारी का नाम व धारित पद
2. अधिकारी के पिता का नाम
3. अधिकारी की जन्मतिथि
4. राज्य सेवा/संवर्ग
5. सेवा निवृति की तिथि
6. अपराध संख्या
7. अपराध का संक्षिप्त विवरण
8. निलंबन की तिथि
9. अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि
10. अभियोजन स्वीकृति जारी करने की तिथि
11. न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की तिथि
12. न्यायालय के निर्णय की तिथि
13. न्यायालय के निर्णय का संक्षिप्त विवरण
14. अपील की जानी है अथवा नहीं
15. निलंबन से बहाल करने अथवा सेवासे निष्कासित/पेंशन रोकने आदि के आदेश जारी करने की तिथि

उक्त निर्देशों की पालना राज्य हित में कठोरतापूर्वक अनुपालित की जावे

शासन सचिव 27/10/99